

समाहरणालय, पटना।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र-VI

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

पत्रांक-.....1898.....

दिनांक 02-8-2016

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु मौजा- लखना (चा०-03), थाना सं०- 65, अंचल-पुनपुन, थाना-मसौढ़ी, जिला- पटना में कुल 0.525 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 0.525 एकड़ है और जो मौजा- लखना चा०-03, थाना सं०-65, अंचल-पुनपुन, थाना-मसौढ़ी, जिला- पटना में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

| क्रम सं० | खाता सं० | सर्वे भूखंड संख्या | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता | सीमा (चौहद्दी) | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------------|--|----------------|----------|----------|--------------------|
| | | | | | | | उ० | द० | पू० | प० |
| 1 | 747 | 2029 | रैयती | धनहर | 0.175 | 1. श्रीमति नीता कुमार पति श्री प्रभात कुमार, रेन्टल फ्लैट--13, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, उत्तरी श्री कृष्णापुरी, पटना। 2. श्रीमति राम दुलारी देवी पति श्री जगदीश नाथ पंडित, रेन्टल फ्लैट-394, पटना-20, किरण नर्सिंग होम के ठीक पश्चिम वाला मकान। | 2029 अंश | 2030 अंश | 2028 अंश | 2030 अंश, 2031 अंश |
| 2 | 747 | 2139 | रैयती | धनहर | 0.145 | श्रीमति अरुणा देवी पति श्री कैलास प्रसाद, सा०- बलुआचक, थाना- गौरीचक, पटना। | 2143 अंश | 2139 अंश | 2140 अंश | 2181 अंश |
| 3 | 747 | 2142 | रैयती | धनहर | 0.205 | 1. श्री दिगविजय कुमार पिता स्व० बाबु लाल सिंह, सा०- गाँधी पथ-108, थाना- पाटलीपुत्रा, पटना। 2. श्री आलोक कुमार पिता श्री मथुरा प्रसाद, सा०- दुट्टिहन बाजार, पटना | 2142 अंश | 2141 अंश | 2136 अंश | 2140 अंश |

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए

ke

भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

ह/—
समाहर्ता,
पटना।

ज्ञापांक सं०— 1898/2-अर्जन् दिनांक: 02-8-2016

1. प्रतिलिपि:— तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:— प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5-5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

ह/१४

समाहर्ता,
पटना